न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 5/2023 (GCMS No. 2023/5) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गुलाब पुत्र किशोर
2. कल्लू पुत्र शिवलाल
3. हरकेश पुत्र शिवलाल
4. रामकेश पुत्र शिवलाल
5. रूपचंद पुत्र रामधन
6. रामनिवास पुत्र हजारी
7. गुलाव पुत्र हजारी
8. छुटटन पुत्र दीपराम
9. रघुनाथ पुत्र दीपराम
10. तेजराम पुत्र दीपराम
11. जगन पुत्र जयचन्द
12. राजेन्द्र पुत्र रामकिशन
13. राजूलाल पुत्र रामकिशन
14. विजयसिंह पुत्र करनफूल
15. राजेश पुत्र गिर्राज
16. बाबेंलाल पुत्र हजारी
17. कमलसिंह पुत्र करण
18. राजेश पुत्र रामसहाय
19. द्वारिका पुत्र गोपी
20. किरोडीपुत्र रतनलाल
21. तिजोरी पुत्र रतनलाल
22. गुलाव पुत्र मोडया
23. मुकेश पुत्र गजराज
24. मुनेश पुत्र गजराज
25. मुन्शीपुत्र घमण्डी
26. बत्तीलाल पुत्र किशोर
27. शगुना पत्नि करणफूल
28. शम्भदयाल पुत्र परमानंद
29. मोहन पुत्र हजारी।

जाति मीना निवासी गुडली तहसील नादौती जिला करौली

.....अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार।
2. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गुडली तहसील नादौती जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आवंटन आदेश जिला कलक्टर करौली दिनांक 01.11.2021 बावत् ख.नं. 225/332 रकवा 0.86 हैक्टे. में से 0.52 हैक्टे. ग्राम गुडली तहसील नादौती।

उपस्थितिः—

1. श्रीमती शशि बंसल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक : 10.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित खसरा नम्बर 225/332 गॉव की आबादी से सटा हुआ है। उक्त ख. नं. पर अपीलान्टान अपने पूर्वजों के समय से पक्का निर्माण करके निवास के रूप में नौहरा, पानी के टैंक, पशुओं के बांधने आदि का उपयोग, उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त नम्बर को आबादी के रूप में काम में लिया जा रहा है। विद्यालय से उक्त आवंटन खसरा नम्बर काफी दूर है जबकि विद्यालय से सटा हुआ खसरा नम्बर 315/345 बंजड दर्ज है। आवंटन करने से पूर्व खसरा नम्बर खाली है या नहीं की रिपोर्ट नहीं ली गई और खेल मैदान हेतु दिनांक 01.11.2021 को आवंटन कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर गॉव की आबादी से सटा हुआ नम्बर होने के कारण उक्त ख.नं. पर अपीलान्टान के पूर्वजों के समय से ही पक्का निर्माण करके निवास के रूप में नौहरा, पानी के टैंक, पशुओं के बॉधने आदि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त नम्बर को आबादी के रूप में काम में लिया जा रहा है। इसलिए उक्त ख.नं. को किसी भी उददेश्य के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार नादौती द्वारा धारा 91 अतिक्रमण करने का नोटिस दिया गया है जबकि मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का में कोई अतिक्रमण नहीं बताया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट गलत है। आवंटन होने के बाद भी धारा 91 का नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विद्यालय से उक्त आवंटन खसरा नम्बर काफी दूर है। जबकि विद्यालय से सटा हुआ ख.नं. 315/345 बंजड दर्ज है। उक्त आवंटन से पूर्व न्यायालय ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या हल्का पटवारी से किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तलव नहीं की है। गॉव गुडली तहसील नादौती में उक्त आवंटन करने से पूर्व खसरा नम्बर खाली है या नहीं की कोई जॉच नहीं कराई गई जो आवंटन से पूर्व कानूनी रूप से आवश्यक है। ग्राम पंचायत गुडली जरिये सरपंच ने एक पत्र क्रमांक 272 दिनांक 29.01.2021 द्वारा खेल मैदान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो कानूनी रूप से अवैध एवं गलत है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यक्तिगत हैसियत से दिया गया है। तत्कालीन सरपंच राजनैतिक द्वेषता के कारण एवं अपीलान्टान से बदले की भावना से की गई कार्यवाही से उक्त आवंटन स्कूल हेतु कराया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न कर किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 उक्त आलोच्य आदेश को एक वर्ष तक दवा कर बैठे रहे। प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम यहॉ खेल मैदान बनायेंगे। प्रार्थीगण ने तब आर.टी.आई. के तहत 14.09.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल दिनांक 07.10.2022 को प्राप्त की। अप्रार्थीगण ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा दिनांक 28.11.2022 को नोटिस धारा 91 एल.आर.एक्ट. देने पर कानूनी सलाह दिनांक 08.01.2023 को मिलने पर अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये 15.09.2022 व नोटिस 91 एल.आर.एक्ट की तिथि तक दिनांक 28.11.2022 तथा नोटिस कानूनी सलाह मिलने तक दिनांक 08.1.2023 से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 01.11.2021 बावत् खसरा नम्बर 225/332 रकवा 0.86 हैक्टे. में से 0.52 हैक्टे. हाल ख.नं. 327/225 ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

गुडली तहसील नादौती निरस्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 487 पेश की।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही खेल मैदान पर अतिक्रमण करने की, की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. वकील अपीलान्ट ने जबाब बहस में कथन किया कि नकल नहीं मिलने पर आर.टी. आई. से ली गई जिसके कारण अपील करने में देरी हुई है। धारा 91 की कार्यवाही को अवधि में मानते हुये प्रस्तुत की है। उक्त भूमि बाडे, नौहरा के लिए काम में आ रही है। अतः सुनवाई का अवसर देते हुये रिमाण्ड की जावे।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 11.01.2023 को अपील दायर की। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेखित आधार न्यायालय के मत में पर्याप्त होने कारण अपील पेश करने में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 225/332 रकवा 0.86 हैक्टे. वांके ग्राम गुडली तहसील नादौती में से 0.52 हैक्टे. भूमि का आवंटन राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गुडली तहसील नादौती के खेल मैदान को किया गया। पत्रावली पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2047, खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2045 तथा खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2061 में विवादित आराजी ख.सं. 225/332 पर अपीलान्ट संख्या 12, 13, 19, 20, 21 आदि के पूर्वजों का नाम उल्लेखित किया गया है तथा गैर मुमकिन बाडे के रूप में कुछ हिस्सा पर काबिज बताया है। विवादित आराजी के संबंध में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन तहसीलदार नादौती द्वारा वर्ष 2022 व 2008 में विवादित आराजी पर अतिक्रमियों के विरूद्ध नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई थी। भू आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न तहसीलदार नादौती की रिपोर्ट तथा भू आवंटन की चैक लिस्ट में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है जबकि पत्रावली पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1.2.23

प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2047, खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2045 तथा खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2061 तथा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है। न्यायालय के मत में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट व्यथित व्यक्ति है, जिसने विवादित ख.सं. 225/332 में पशुओं का बाडा इत्यादि का निर्माण किया है। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश किया। प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। चूँकि विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर अपीलान्ट गैर मुमकिन बाडा इत्यादि निर्माण कर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, उनके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई थी जिसका विधिवत निस्तारण का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया गया। न्यायालय के मत में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी ख.सं. 225/332 रकवा 0.86 हैक्टै. में से आवंटित 0.52 हैक्टे. हिस्से पर काबिज अपीलान्ट को सुनवाई का मौका देते हुये तथा इनके विरूद्ध आरम्भ की गई भू.राजस्व. 1956 की धारा 91 की कार्यवाही का विधिपूर्वक निस्तारण करते हुये पुनः कानून सम्मत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 01.11.2021 निरस्त करते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे निर्णय के 2 माह के अन्दर विवादित आराजी ख. सं. 225/332 रकवा 0.86 हैक्टे. में से 0.52 हैक्टे. वांके ग्राम गुडली तहसील नादौती पर काबिज अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई करते हुये पुनः गुणावगुण पर आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10-07-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर